Part I: The Union and its Territory

Part I of the Constitution of India deals with the Union and its Territory. It contains provisions regarding the territory of the Union of India, the status of the states, the capital of the Union and the administration of Union territories.

Articles 1 to 4 deal with the territory of India and the status of the states and territories. Article 1 declares India, including the territories of the states and the Union territories, to be a Union of States. Article 2 empowers the Parliament to admit into the Union, or establish, new states and alter the boundaries of existing states.

Articles 5 to 11 deal with citizenship. Article 5 provides that every person who was a citizen of India at the commencement of the Constitution continues to be a citizen of India. Article 6 deals with the rights of migrants from Pakistan to become citizens of India.

Articles 12 to 15 deal with the Union Government, the executive power and the Council of Ministers. Article 12 vests the executive power of the Union in the President, who shall exercise it either directly or through officers subordinate to him. Article 74 provides for the creation of a Council of Ministers to aid and advise the President in the exercise of his functions.

Overall, Part I of the Constitution of India provides the framework for the organization and administration of the Union of India, and sets out the basic principles relating to citizenship and the governance of the country.

भाग I: संघ और उसके क्षेत्र

भारत के संविधान का भाग I संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। इसमें भारत संघ के क्षेत्र, राज्यों की स्थिति, संघ की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 1 से 4 भारत के क्षेत्र और राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों सहित भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में प्रवेश करने, या नए राज्यों की स्थापना करने और मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 5 प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक था, भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 6 भारत के नागरिक बनने के लिए पाकिस्तान से प्रवासियों के अधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 12 से 15 केंद्र सरकार, कार्यकारी शक्ति और मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। अनुच्छेद 12 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जो इसे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्माण का प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग I भारत संघ के संगठन और प्रशासन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, और नागरिकता और देश के शासन से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है।